23

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

स्मक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 165–एक/05 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28–01–2005 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 204/2001–02/निग.

.....

वीरेन्द्र सिंह पुत्र इमरत सिंह रघुवंशी
ग्राम–कालाबाग, तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर म प्र

..... आवेदक

**विरूद्ध**

1–रंधीर सिंह पुत्र श्री दीवानी सिंह रघुवंशी
2–इमरत सिंह पुत्र श्री मोकम सिंह
3–गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री इमरत सिंह
4–सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री इमरत सिंह
5–रघुवीर सिंह पुत्र श्री कमल सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम कालाबाग
तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर म. प्र

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदक

.....

**आदेश**

(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित )

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, गवालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 204/2001–02/निग. में पारित आदेश दिनांक 28–01–2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक रनधीर सिंह द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा –131 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रास्ते की मांग की गई, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दावा आवेदन–पत्र प्रचलनशील मान्य किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष

पेश की गई । प्रकरण क्रमांक 130/निग/2000–01 दर्ज किया गया तथा दिनांक 25.06.2002 को अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी अमान्य किया गया । जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । जो दिनांक 28.01.2005 को निरस्त की गई । अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 28.01.2005 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि में से रास्ता चाहा है। जबकि इस भूमि पर कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा । इस कारण नवीन रास्ता दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। इस वैधानिक विन्दु पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किये गये, अपास्त किये जाने योग्य है। जब विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रारंभिक आपत्तियां की थी तब वह आपत्तियां विचारणीय नहीं है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सकारण आदेश पारित नहीं किया। नवीन रास्ते की मांग व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप नहीं की जा सकती बल्कि रास्ते के लिये रूढ़ि सिद्ध करना आवश्यक है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार ही नहीं किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया है। अतः ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के प्रतिकूल है। आवेदक को सुनवायी का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय एंव अन्य पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा विचार ही नहीं किया और आदेश पारित कर दिया । इसी रास्ते के संबंध में पूर्व में आदेश पारित किया जा चुका है । अतः इस कारण उक्त आवेदन रेसजुडिकेटा का प्रभाव रखता है । ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक क्र0 1, 2, 3, 4 एवं 6 पूर्व से एकपक्षीय है । अनावेदक क्र0 5 की मृत्यु हो चुकी है । उसका नाम प्रकरण से विलोपित किया जा चुका है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्र0 1 के द्वारा दिये आवेदन पत्र को तहसीलदार ईसागढ़ ने वाद प्रचलन योग्य होने से मान्य किया गया है । जिसके विरूद्ध आवेदक वीरेन्द्र सिंह द्वारा तहसील

न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर लेख किया है कि पूर्व में भी अनावेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है जिसका प्रकरण क्रमांक 1/अ–13/1999–2000 था और आवेदक के विरूद्ध आदेश हुआ था । उन्हीं आधारों पर पुनः प्रकरण नहीं चल सकता है । इस प्रकरण में पारित आदेश की कोई प्रति आवेदन के साथ संलग्न नहीं की गई है जिससे पूर्व में किए गए निर्णय की पुष्टि हो सके । रास्ते के विवाद के संबंध में निर्णय हेतु व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्र0क्र0 21/अ/98 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2000 के पैरा–16 में संहिता की धारा–131 के तहत कार्यवाही हेतु उल्लेख किया गया है ।

6/ प्रकरण में अभी प्रचलनशीलता पर निर्णय हुआ है जिसमें उभयपक्षों की साक्ष्य एवं तथ्यों का परीक्षण किया जाना अभी शेष है । जिसमें उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर सुरक्षित है ऐसी स्थिति में प्रारंभिक स्तर पर ही आवेदन निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यही निष्कर्ष निकाला है जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश उचित है जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 28–01–2005 स्थिर रखा जाता है । आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर